

इसे वेबसाईट www.govtprintmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 562]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 दिसम्बर 2011—अग्रहायण 18, शक 1933

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

क्र. एफ 6-59-10-छ.—राज्य शासन, भगवान पशुपतिनाथ मंदिर, मंदसौर की 100 मीटर त्रिज्या के निमानुसार क्षेत्र को पवित्र क्षेत्र घोषित करता है:-

पूर्व दिशा—कैफेटेरिया

पश्चिम दिशा—गायत्री मंदिर

उत्तर दिशा—शिवना नदी का तट

दक्षिण दिशा—पार्किंग ऐरिया (मंदिर)

2. पवित्र क्षेत्र में अंडा, मांस, मछली एवं मदिरा का क्रय-विक्रय निषेध किया जाता है। पशु-पक्षियों के प्रति कूरता की रोकथाम की जाती है एवं पशुवध प्रतिबंधित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश प्रसाद मिश्र, उपसचिव.